फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

वैभव कुमार बनाम [illegible]

नं० 250/22

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/10/24 पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य [illegible] गए है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 12/2/24 को पेश हो।	
12/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी [illegible] द्वारा दिनांक 10/10/24 को पेश [illegible] P. [illegible] दस्त हेतु	
उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
29/4/25 पत्रावली वादी की ओर से वाद पत्र को बिना किये जाने का प्रार्थना प्रस्तुत होने पर पलव की गई। वादी की ओर से पेश प्रार्थना पर वादी अभिभाषक को सुना गया वादी के विद्वान अभि[illegible] द्वारा की गई बहस वकील वादी व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करके वादी की वाद पत्र वापस किये जाने की अनुमति को नामंजूर करते हुए वाद खारिज किया जाता है [illegible] पत्रावली पेश [illegible] से कम हो [illegible]	
उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
[illegible] 29/4/25	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 12:20:47 IST
Reason: SelfAttested